राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/12सी जयपुर, दिनांकः–18/8/2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/12बी, दिनांक 25 मार्च 1998 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाली अन्य राज्यों की मंजिली गाड़ियों पर उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, विशेष सड़क कर विहित करती हैः–

सारणी

क्र.सं.	परिवहन यान का वर्णन	प्रतिदिन कर की दर
1.	2.	3.
1.	राजस्थान में चलने वाली अन्य राज्यों की मंजिली गाड़ियॉ	
(i)	प्रतिदिन 20 किमी. तक चलने वाली	25/– रु०
(ii)	प्रतिदिन 20 किमी. से अधिक किन्तु 40 किमी. से अनधिक चलने वाली	50/– रु०
(iii)	प्रतिदिन 40 किमी. से अधिक किन्तु 80 किमी. से अनधिक चलने वाली	150/– रु०
(iv)	प्रतिदिन 80 किमी. से अधिक किन्तु 160 किमी. से अनधिक चलने वाली	300/– रु०
(v)	प्रतिदिन 160 किमी. से अधिक किन्तु 240 किमी. से अनधिक चलने वाली	400/– रु०
(vi)	प्रतिदिन 240 किमी. से अधिक किन्तु 400 किमी से अनधिक चलने वाली	500/– रु०
(vii)	प्रतिदिन 400 किमी. से अधिक चलने वाली	700/– रु०

टिप्पण :

किसी मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय–V के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर, जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थी, संदत्त की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव